तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
16/3/26	[illegible] 16/3/26 [illegible] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
16/3/26	[illegible] 25/3/26 को [illegible] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
25/3/26	पत्रा: पेश। वादी ने धारा 88, 89, 188 के अंतर्गत दावा पेश किया है। वादी का कथन है कि वादी ने 13/04/1994 को अपने दोनो पुत्रों गोपाल व बनवारी के नाम पर वादग्रस्त भूमि का क्रय किया था। बनवारी तब नाबालिग था। प्रति 1 वादीगण के पुत्र के पुत्र बनवारी की साथ विवाद के बाद दो-तीन दिन रही। वादीगण के पुत्र के बाद व्यक्ति सांवला के साथ निवास कर रही है। अत: प्रति 1 का बनवारी की सम्पत्ति पर हक नहीं है। वादी का कथन है कि प्रति 1 ने गुप-चुप तरीके से बनवारी के हिस्से के ज़मीन पर नामांतरण दर्ज करा लिया है अत: वादी यह चाहते है कि प्रति 1	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का नाम खाते से खारिज फरमाया जाए। व प्रति 1 के खिलाफ उनको स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त हो। वादी ने जमाबंदी की नकल, प्रधानाध्यापक द्वारी जारी किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र व विक्रय पत्र पेश किया है।	
	तनकीवार निर्णय निम्नुसार है –	
	1) आया वादीगण द्वारा अपनी स्वयं की कमाई से वादग्रस्त भूमि ग्राम चौसला ख.न. 966 रकबा 2.35 है० अपने दोनो पुत्रो गोपाल व बनवारी के नाम खरीद कर अपने पुत्रो के नाम दर्ज करवाई थी। (जिम्मे वादी)	
	वादी ने इसके पक्ष मे विक्रय पत्र लगाया है। ~~जिसकी~~ ~~~~ जमाबंदी सम्वत 2073-2076 में ~~की~~ वादी के पुत्र गोपाल का हिस्सा 1/2 दर्ज है (खाता संख्या 68 खसरा 966) जबकि विक्रय पत्र खसरा न. 486 (खाता संख्या 17) अंकित है। मिलान क्षेत्रफल संलग्न न होने से यह तथ्य साबित नही हो पा रहा है कि यह एक ही जमीन है।	
	अतः वादी इस तनकी को साबित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	नहीं कर पाया है (2) आया प्रति 1 द्वारा वादीगण के पुत्र बनवारी की मृत्यु के बाद सांवल्या नामक व्यक्ति के साथ निवास कर रही है (जिम्मे वादी) इसको साबित करने के लिए वादी के कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है अत: यह तन्की भी वादी साबित नहीं कर पाए है (3) आया प्रति 1 के पक्ष में विरासतन खोला गया नामांतरण Null & Void होने से खारिज योग्य है तथा प्रति 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण खातेदारी घोषणा का अधिकारी है (जिम्मे वादी) वादी ने कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि नामांतरण Null & Void है व प्रति 1 का नाम खाते से खारिज किया जावे। अत: वादी इस तन्की को साबित नहीं कर पाए है (4) आया वादीगण प्रति 1 के विरुद्ध वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के हकदार हैं। (जिम्मे वादी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	~~प्रके~~ वादीगण द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं हुआ है जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी 1 का नाम जमाबंदी से खारिज योग्य है व प्रति 1 उक्त जमीन पर हक नहीं रखता है। बिना किसी तथ्य के प्रति 1 को स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अत: वादी यह तनकी भी साबित नहीं कर पाए हैं अत: वादी द्वारा यह साबित नहीं हो पाया है कि प्रति 1 का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा नहीं है। साक्ष्य के अभाव में प्रति 1 का नाम खाते से खारिज नहीं किया जा सकता। वादी का दावा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Che उपखण्ड अधिकारी 25/03/26 रामगंजमण्डी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज)	